

251

127

16/11

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल क्वालिफर कैम्प रीवा (म0प्र0)



Rs. 30/-

NR 5543 II/16

अन्नपूर्णा प्रसाद द्विवेदी तनय श्री बृजेन्द्रनाथ द्विवेदी निवासी ग्राम

कोठार तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)

-----आवेदक

श्री अमरनाथ चोपड़ा
द्वारा 24-12-16

कोठार तहसील
अमरपाटन जिला सतना

बनाम

भोलाल चमार तनय मंगल

१. मंगल चमार चमार

२. बाबूलाल तनय मंगल

३. मुन्लाल तनय मंगल सभी निवासी ग्राम कोठार तहसील

अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)

-----अनावेदकगण

५. मध्य प्रदेश शासन

निगरानी विरुद्ध श्री अनुविभागीय
अधिकारी ^{अमरपाटन} बाबत राजस्व प्रकरण

क्रमांक- 6अ6/12-13 आदेश

दिनांक ... 20-10-2016

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश
भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।
2. यह कि तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 20/09/2016 को आधार मानकर जो पुर्नविलोकन की अनुमति दी गई है वह आदेश अवैधानिक है तथा विधि एवं तथ्यों के विपरीत है।

[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R.5543-II/16..... जिला सतना

अन्वयणी प्र० द्विती विरुद्ध भाला चमार वर्ग

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री... आमताल चतुर्वेदी... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील... अमरपाटन... के प्रकरण क्रमांक..... 6/37-6/2012-13..... में पारित आदेश दिनांक..... 20.10.16..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... सतना..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19..... को कलेक्टर..... सतना..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">/</p> <p style="text-align: center;">सदस्य</p>	

[Handwritten Signature]